

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: प.17(2)चिस्वा/2/2013

दिनांक : 27.02.2013

—: आदेश :-

इस विभाग के समसंख्यक नियुक्ति आदेश दिनांक 07.02.2013 के द्वारा राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय से चयनोपरान्त एस. बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 17837/2012 में पारित निर्णय के अध्याधीन 301 चिकित्सा अधिकारियों का पदस्थापन किया गया था। उक्त रिट में पारित निर्णय दिनांक 24.01.2012 की पालना में कम संख्या 193 पर अंकित डा. समिख अंसारी, चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति को तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है।


राज्यपाल की आज्ञा से,

—ह.—

(अल्पा चौधरी)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

- 1) निजी सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- 2) निजी सचिव, माननीय चिकित्सा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
- 3) निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 4) निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर।
- 5) रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
- 6) संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन, उदयपुर
- 7) रजिस्ट्रार, राजस्थान मेडिकल काउंसिल, जयपुर।
- 8) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डूंगरपुर को भेजकर लेख है कि डा. समिख अंसारी, चिकित्सा अधिकारी ने यदि विभाग के आदेश दिनांक 07.02.2013 की अनुपालना में कार्यग्रहण कर लिया है तो डा. अंसारी की सेवाएँ तुरन्त प्रभाव से समाप्त कर इस विभाग को अवगत करावें।
- 9) प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि विभाग की बेवसाईड पर तुरन्त अपलोड करावें।
- 10) कम्प्यूटर सैल/आदेश पत्रावली/ निजी पत्रावली।


शासन उप सचिव